

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर
वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ4(ई)/अलेसे-III/निप लिंक नं. 11058/6306

दिनांक :- 08/12/2020

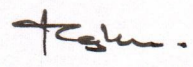
कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	लिंक नं.	नाम क. लेखाकार (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	नाम परीक्षा
1	2	3	4	5
1	11058	जितेन्द्र सिंह मीणा	कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, झुन्झुनू (राज.)	1. स्नातकोत्तर भूगोल उत्तरार्द्ध (वर्ष 2017-18) स्वयंपाठी वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा। 2. स्नातकोत्तर राजस्थानी भाषा पुर्वार्द्ध (2018-19) एवं उत्तरार्द्ध (2019-20) स्वयंपाठी वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा। 3. यू.जी.सी. नेट/जे.आर.एफ. जून 2020 विषय भूगोल।

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी :-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. यदि पदस्थापन मुख्यालय परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
10. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ4(ई)/अलेसे-III/निप लिंक नं. 11058/6306

दिनांक :- 08/12/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, झुन्झुनू, राज.
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एससीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)